RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS /170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक १८] गुरुवार, जून ८, २०१७/ज्येष्ठ १८, शके १९३९ [पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २८

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

नगरविकास विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ३० मई २०१७।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. VIII OF 2017.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT, THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ८ सन् २०१७।

मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (जिसे इसमें आगे, "उक्त अध्यादेश" कहा गया हैं) २ फरवरी २०१७ को प्रख्यापित किया है ; सन २०१७ का महा. अध्या. क्र. ६।

और क्योंकि ६ मार्च २०१७ को राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिये, मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) विधेयक, २०१७ (सन् २०१७ का वि. स. विधेयक क्र. ६), १६ मार्च, २०१७ को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था ;

और क्योंकि तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ७ अप्रैल, २०१७ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् १६ अप्रैल, २०१७ के पश्चात्, प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया हैं;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका हैं कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१७ कहलाए।

(२) यह २ फरवरी, २०१७ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय दो

मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १८८८ का ३ की धारा १६ में संशोधन।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा १६ की, उप-धारा (१) के खण्ड (ज) में, " सहायक आयुक्त का प्रमाणपत्र " शब्दों के पश्चात्, " या ऐसे व्यक्ति द्वारा स्व-प्रमाणपत्र " शब्द निविष्ट किए जायेंगे। सन् १८८८ का ३।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १९४९ का ५९ की धारा १० में संशोधन।

३. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा १० की, उप-धारा (१), के खण्ड (ट) में, " संबंधित निगम के प्रभाग अधिकारी का प्रमाणपत्र " शब्दों के पश्चात्, " या ऐसे व्यक्ति द्वारा स्व-प्रमाणपत्र " शब्द निविष्ट किए जायेंगे। सन् १९४९ का ५९।

अध्याय चार

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में संशोधन।

सन् १९६५ का ४० की धारा १६ में संशोधन।

४. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ की धारा १६ की, उप-धारा (१), के खण्ड (ड) में, " संबंधित परिषद के प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाणपत्र " शब्दों के पश्चात्, " या ऐसे व्यक्ति द्वारा स्व-प्रमाणपत्र " शब्द निविष्ट किए जायेंगे। सन् १९६५ का ४०।

अध्याय पाँच

विविध

सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ६।

सन् १८८८ का ३। सन् १९४९ का ५९। सन् १९६५ का ४०।

सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ६ का निरसन और व्यावृत्ति।

५. (१) मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१७, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता हैं।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित सुसंगत अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ६। सन् १८८८ का ३। सन् १९४९ का ५९। सन् १९६५ का महा. ४०।

संदेह का निराकरण।

६. संदेह के निराकरण के लिये, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता हैं, कि, मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ द्वारा यथा संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ के सभी उपबंध प्रवृत्त बने रहेंगे और हमेशा प्रवृत्त बने रहे समझे जायेंगे ।

वक्तव्य।

मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की धारा १६, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा १० और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का ४०) की धारा १६, क्रमशः, सुसंगत अधिनियम के अधीन, निगम या परिषद के लिये निर्वाचित होने या पार्षद बनने के लिये व्यक्ति की निरर्हता के लिये उपबंध करती हैं।

केंद्र सरकार के **स्वच्छ भारत अभियान** के तत्वावधान के अधीन, राज्य में, **स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान** (नगरीय) कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य अभियान कार्यान्वित करने और शहरों को मलोत्सर्ग-मुक्त बनाने में पार्षदों की महत्त्वपूर्ण भूमिका की सुनिश्चिति करने की दृष्टि से, उक्त अधिनियमों की धारा १६ की उप-धारा (१), धारा १० की उप-धारा (१) तथा धारा १६ की उप-धारा (१), एक नये खण्ड, जो उपबंध करता है की, व्यक्ति जो, संबंधित सहाय्यक आयुक्त, प्रभाग अधिकारी या, यथास्थिति, संबंधित निगम या परिषद के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, यह प्रमाणित करनेवाला कि, वह अपने स्वयं के आवास में निवास करता है और ऐसे आवास में शौचालय हैं और वह नियमित रूप से ऐसे शौचालय का उपयोग करता है ; या वह अपने स्वयं के आवास में निवास नहीं करता है और ऐसे आवास में शौचालय है और वह उसका नियमित रूप से उपयोग करता है या ऐसे आवास में शौचालय नहीं हैं किंतु सामुदायिक या सार्वजनिक शौचालय का नियमित रूप से उपयोग करता है, तो दिया गया उस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल होता हैं, तब तद्धीन निरर्ह बनेगा, कि निविष्टि द्वारा, महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १९, सन् २०१६ द्वारा संशोधित की गई हैं। उक्त, सन् २०१६ का महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १९, २ जनवरी, २०१७ से प्रवर्तमान में लाया गया है।

२. विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन, फरवरी और मार्च, २०१७ महीनों में लिये गये थे। ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति में, नगरीय स्थानीय निकायों में भाग लेने में इच्छुक व्यक्तियों द्वारा सामना की गई कठिनाईयों का विचार करते हुये, ऐसा आवश्यक प्रमाणपत्र, संबंधित उम्मीदवार द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकेगा, का उपबंध करने की दृष्टि से, उक्त धाराएँ संशोधित करना इष्टकर समझा गया हैं।

३. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३), महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ६) २ फरवरी, २०१७ को प्रख्यापित किया गया था।

४. **तत्पश्चात्,** ६ मार्च २०१७ को राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिये, मुंबई नगर निगम, महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) विधेयक, २०१७ (सन २०१७ का वि. स. विधेयक क्र. ६), १६ मार्च २०१७ को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था।

तथापि तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ७ अप्रैल २०१७ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था।

५. भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् १६ अप्रैल, २०१७ के पश्चात, प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा ; अत:, इसलिये, नये अध्यादेश के प्रख्यापन द्वारा, उक्त अध्यादेश के उपबंधों को जारी रखने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं।

६. **क्योंकि,** राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका हैं कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हे, सन २०१७ का महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. ६ के उपबंधों का कार्यान्वयन जारी रखने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं, अत:, यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता हैं।

मुंबई,
दिनांकित ११ मई २०१७।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

मनीषा पाटणकर-म्हैसकर,
सरकार के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.